

आयलय उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

रीडर/2022/131  
(राजस्व),

दिनांक :- 14.03.2022

विषय:- प्रकरण संख्या 11/2020 अनवान बनवारी लाल आदि बनाम  
अमरीश कुमार आदि अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में  
पारित निर्णय दिनांक 11.03.2022 के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अनवान प्रकरण में पारित  
दिनांक 11.03.2022 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क  
काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर  
एम तहसील श्रीकरणपुर के मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक  
की दिशा में पश्चिम से पूर्व गैरमुमकिन खाल के साथ-साथ 1-1 विस्वा यानि  
0.013 हैक्टेयर, कुल 0.065 हैक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के  
दिए जाते है। इस रास्ता की 0.065 हैक्टेयर भूमि के बदले अप्रार्थी अमरीश  
पुत्र मंगत राम को 0.065 हैक्टेयर भूमि देय होगी। जो प्रार्थीगण की कब्जा  
की भूमि मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 20, 21 में से अप्रार्थी को देय होगी।  
धर श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता कायम कर मौके एवं राजस्व  
में अमल-दरामद कर रास्ते की पत्थरगढी करावे एवं मौके पर कोई अवरोध  
ए तो उन्हें हटाये।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)  
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर